



Neutral Citation No.-2026:AHC:10443

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-31226 वर्ष 2024

अरुण @ दीपक आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: दीपक कुमार पांडेय, गिर्राज सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री दीपक कुमार पांडे, राज्य के अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री सुनील कुमार की सहायता से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संजीव सिंह को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक की ओर से दायर यह तीसरा जमानत आवेदन है। पहले मामले को इस न्यायालय ने 2020 के आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-28088 में पारित दिनांक 17.8.2021 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था। दूसरे को इस न्यायालय ने 2022 के आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-44891 में पारित दिनांक 3.5.2023 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था।
4. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा केस अपराध संख्या-367 वर्ष 2019 में धारा 364-ए, 302, 201 भ०द०वि०, थाना-अछनेरा, जिला: आगरा के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि एक नए आधार के रूप में, यह कैद की अवधि है जिस पर आवेदक जमानत का हकदार है क्योंकि वह 14.11.2029 से जेल में है और उसकी कैद को छह साल और एक महीना बीत चुका है। कैद की अवधि ही इंगित करती है कि आवेदक जमानत का हकदार है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि मुकदमा चल रहा है और चार गवाहों की पहले ही जांच की जा चुकी है और आवेदक मुकदमे में सहयोग नहीं कर रहा है, इस प्रकार, आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

7. खंडन में, आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि सह-आरोपी शालिनी भदौरिया फरार हो गई थी, इस तरह, मामला आगे नहीं बढ़ सकता था। विचारण न्यायालय ने आवेदक के विचारण को अलग कर दिया है, ऐसे में अब विचारण चल रहा है।

8. इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति के लिए कहा था। दिनांक 28.11.2025 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, अ०सा०-1 हरिराम शर्मा की पहली बार 9.5.2022 को जांच की गई थी, उसके बाद मामले की संपत्ति की अनुपलब्धता के कारण कुछ अवधि के लिए और एक या अन्य आरोपी व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण साक्ष्य दर्ज नहीं किए गए थे। दिनांक 19.10.2024 और 11.3.2025 को अ०सा०-1 का साक्ष्य दर्ज नहीं किया गया था क्योंकि आरोपी अरुण के अधिवक्ता द्वारा स्थगन की मांग की गई थी।

9. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और मुकदमे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, चूंकि चार गवाहों की पहले ही जांच की जा चुकी है, और आवेदक मुकदमे में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे यह आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। जमानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, खारिज किया जाता है।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702, के



मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 16, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)